@shahjahanpupol

प्रेसनोट – सराहनीय कार्य दिनाँक-15.02.21

थाना सिधौली पुलिस को मिली बडी कामयाबी,

ग्राम बारापुर में हुई गुड्डू की हत्या का खुलासा, हत्यारा रविन्द्र गिरफ्तार ,

हत्या में प्रयुक्त आलाकत्ल दांतेदार चाकू बरामद।

दिनाँक 10.02.2021 को मृतक गुड्डू की पत्नी निवासी ग्राम बारापुर थाना सिधौली जनपद शाहजहाँपुर द्वारा अपने पति गुड्डू पुत्र गयादीन उम्र 42 वर्ष की हत्या कर देने के सम्बन्ध मे थाना सिंधौली पर मु0अ0स0 50/2021 धारा 302 भादवि बनाम वाइशतवाह अभियुक्त 1. रविन्द्र पुत्र लालाराम 2. सतीश पुत्र रविन्दर निवासीगण ग्राम बारापुर थाना सिधौली जनपद शाहजहाँपुर के विरूद्ध पंजीकृत कराया था।

श्री एस. आनन्द पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर द्वारा थाना सिंधौली पर पंजीकृत हत्या के अभियोग को गम्भीरता से श्री संजीव कुमार वाजपेयी अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं श्री नवनीत कुमार नायक क्षेत्राधिकारी पुवाया के पर्यवेक्षण मे अभियोग के विवेचक श्री जगनारायण पाण्डेय प्रभारी निरीक्षक थाना सिधौली के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन कर हत्या के जघन्य अपराध कारित करने में संलिप्त अभियुक्तों को अतिशीघ्र गिरफ्तार कर घ्रटना का अनावरण करने हेतु कडे दिशा निर्देश दिये गये एवं प्रतिदिन की मानीटरिंग की जाने लगी।

श्री जगनारायण पाण्डेय प्रभारी निरीक्षक थाना सिधौली द्वारा गहनता से विवेचना के मध्य पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त रविन्द्र पुत्र लालाराम निवासी ग्राम वारापुर थाना सिधौली जनपद शाहजहाँपुर का नाम प्रकाश में आया तथा गिरफ्तारी हेतु दविश दी जाने लगी, **दिनाँक 15.02.21 को मुखबिर की सूचना पर नियामतपुर तिराहा से सुबह 07.00 बजे गिरफ्तार किया गया** तथा गिरफ्तार अभियुक्त की निशानदेही पर हत्या मे प्रयुक्त धारदार दाँतेदार चाकू (आलाक्तल) की बरामद किया गया। थाना सिंधौली पर अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुये माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ विवरण- अभियुक्त से पूछताछ करने पर अभियुक्त रविन्द्र ने बताया कि साहब करीब 3 वर्ष पहले मेरे लडके सतीश ने गाँव के ही गुड्डू की लडकी रूबी को बहला फुसलाकर भगा ले गया था जिसके सम्बन्ध मे गुड्डू ने मेरे लडके व मेरी पत्नी व मेरे विरूद्व थाने पर **मु0अ0स0 1740/17 धारा 363/506 भादवि 7/8 पाँक्सो एक्ट दिनाँक 01.09.2017 को पंजीकृत कराया था**। इस घटना मे मेरा लडका जेल भी गया था। जो बाद मे जमानत पर छूट कर आ गया था। मुकदमा कोर्ट मे ट्रायल पर चल रहा है समझौते के लिए मैने गूड्डू पर दवाब बनाया लेकिन गुड्डू किसी भी तरीके से समझौते के लिए राजी नही हुआ था मुझे आशंका थी कि मेरे लडके सतीश को व मेरी पत्नी व मुझे उक्त मुकदमे मे सजा हो जायेगी।इसी डर की वजह से व मुकदमेबाजी की रंजिश को लेकर मैने गुड्डू की हत्या धारदार दाँतेदार चाकू से दिनाँक 10.02.2021 को कर दी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

रविन्द्र पुत्र लालाराम निवासी ग्राम वारापुर थाना सिधौली जनपद शाहजहाँपुर

बरामदगी का विवरण:-

आलाकत्ल दातेदार चाकू (हत्या में प्रयुक्त समबन्धित मु0अ0स0 50/2021 धारा 302 भादवि)

आपराधिक इतिहास

1-मु0अ0स050/2021 धारा 302 भादवि

2- मु0अ0स0 1740/17 धारा 363/506 भादवि 7/8 पाँक्सो एक्ट

अभियुक्तगण को गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम -

1-प्रभारी निरीक्षक जगनारायण पाण्डेय थाना सिधौली जनपद शाहजहाँपुर।

2-उ0नि0 सतेन्द्र कुमार थाना सिधौली जनपद शाजहाँपुर।

3- हे0का0 358 राजकिशोर थाना सिधौली जनपद शाजहाँपुर।

4-का0 563 संजीव कुमार थाना सिधौली जनपद शाजहाँपुर।

5-का0 1895 राहुल कुमार थाना सिधौली जनपद शाजहाँपुर।